A

IN THE COURT OF SESSIONS JUDGE, KOTA	
Presidin Officer : SATYANARAYAN VYAS Date of the Judgement : 04-06-2026 Cr.Appeal No. - 139/2025 CNR No. - RJKT010012332025 FIR No.- 76/2022 PS Vigyan Nagar Kota Under Sections -341, 323, 325 भारतीय दण्ड संहिता	
Appellant	जावेद हुसैन पुत्र जाकिर हुसैन, निवासी 136-ए संजय नगर-ए विज्ञान नगर कोटा (राजस्थान)
Represented by	श्री अहमद हुसैन विद्वान अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी
Rrespondent	स्टेट ऑफ राजस्थान
Represented by	1. श्री मनोज पुरी, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राजस्थान राज्य 2. श्री प्रवीण कालरा, विद्वान अधिवक्ता फरियादिया की ओर से

दाण्डिक अपील विरूद्ध निर्णय व दण्डादेश दिनांक 11.02.2025 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2 (उत्तर) कोटा, पीठासीन अधिकारी श्रीमति कृतिका शेखावत, आर.जे.एस. फौजदारी प्रकरण संख्या-209/2022 (सीआईएस नं.-5761/2022) शीर्षक राजस्थान राज्य बनाम जावेद हुसैन जिसके माध्यम से अपीलार्थी अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 325 व 341 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध घोषित कर दण्डादिष्ट किया गया।

B

Date of Offence	10.3.2022
Date of FIR	11.3.2022
Date of Charge sheet	20.5.2022
Date of Framing of Charges by trial court	20.5.2022
Date of commencement of evidence	21.6.2022
Date on which judgment is reserved	NIL
Date of the Judgment by trial court	11.02.2025
Date of the Sentencing Order, if any	11.02.2025
Argument on Appeal	04.06.2026
Judgement on Appeal	04.06.2026

PART-II

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESSES

A. Prosecution

Rank	Name	Nature of Evidence(Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
P.W.1	पिंकी	फरियादिया
P.W.2	शमीम बानो	चक्षुदर्शी साक्षी, ताईद नक्शा मौका घटनास्थल
P.W.3	हसीना बेगम	ताईद नक्शा मौका घटनास्थल
P.W.4	डॉ.संजय वर्मा	चिकित्साधिकारी
P.W.5	लालसिंह	अनुसंधान अधिकारी
P.W.6	अब्दुल रशीद	एफआईआर कता कर्ता
P.W.7	डॉ.नरेन्द्र नागर	रेडियोलोजिस्ट

B. Defence Witnesses, if any:

Rank	Name	Nature of Evidence(Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
निल	निल	निल

C. Court Witnesses, if any:

Rank	Name	Nature of Evidence(Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
निल	निल	निल

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT EXHIBITS

A. Prosecution:

S.No.	Exhibit Number	Description
1	प्रदर्श पी-1	तहरीरी रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी-2	चाक एफआईआर
3	प्रदर्श पी-3	नक्शा मौका
4	प्रदर्श पी-4	चोट प्रतिवेदन
5	प्रदर्श पी-5	एक्सरे कवर रिपोर्ट

Authenticated Document

6	प्रदर्श पी-6	एक्सरे कवर नोट
7	प्रदर्श पी-7	एक्सरे प्लेट

Defence Exhibit:

S.No.	Exhibit Number	Description
निल	निल	निल

C. Court Exhibits:

S.No.	Exhibit Number	Description
निल	निल	निल

D. Material Objects:

S.No.	Exhibit Number	Description
निल	निल	निल

अपीलार्थी अभियुक्त जावेद हुसैन की ओर से यह दाण्डिक अपील, विद्वान विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2 (उत्तर) कोटा के निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 11.02.2025 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें अपीलार्थी अभियुक्त को धारा 325 व 341 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध किया जाकर धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में तीन वर्ष के साधारण कारावास एवं 500/-रूपये अर्थदण्ड अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त सात दिवस का साधारण कारावास भुगतने एवं धारा 341 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में 500/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 11.3.2022 को फरियादिया पिंकी पी.डब्ल्यू.-1 ने थानाधिकारी पुलिस थाना विज्ञान नगर कोटा के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 इस आशय की पेश की कि कल दिनांक 10.3.2022 को सुबह 10.00 बजे के लगभग उसका पति जावेद हुसैन पुत्र जाकिर हुसैन, उम्र 35 वर्ष, जाति मुस्लिम निवासी मकान नम्बर-136 संजय नगर-ए विज्ञान नगर कोटा से उसके घर खर्च के लिए रूपये मांगे तो उससे गाली गलौच करने लग गया व उसके साथ में लकड़ी के डण्डे से मारपीट करने लग गया। जिससे उसके बायें हाथ की कलाई पर चोट लग गई व हड्डी टूट गई। यह घटना उसकी सास श्रीमती जायदा पत्नी जाकिर हुसैन ने देखी थी व आये दिन उसे परेशान करता है व जान से मारने की धमकी देता है। उसके पति के खिलाफ

कार्यवाही करने की कृपा करें ......इत्यादि।

3. इस लिखित रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-76/2022 पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान प्रकरण में आरोप पत्र अपीलार्थी अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 341,323 व 325 भारतीय दण्ड संहिता में प्रस्तुत किया गया जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण नियमित फौजदारी के रूप में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी अभियुक्त जावेद हुसैन को धारा 341, 323 व 325 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप विरचित कर सुनाये व समझाये गये जिसे अपीलार्थी अभियुक्त द्वारा अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही गई।

4. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहान पी.डब्ल्यू.-1 लगायत पी.डब्ल्यू.-7 के बयान लेखबद्ध कराये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-7 प्रलेख प्रदर्शित कराये गये। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी अभियुक्त के कथन अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये, जिनमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा कथन किया कि उसे झूठा फंसाया गया है। अपीलार्थी अभियुक्त की ओर से प्रतिरक्षा में कोई मौखिक व दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अधिवक्ता अपीलार्थी अभियुक्त एवं सहायक अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी जाकर प्रकरण को निस्तारित करते हुये दिनांक 11.02.2025 को अपीलार्थी अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्तानुसार निर्णय व दण्डादेश पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी अभियुक्त की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

5. अपीलार्थी की ओर से अपील प्रस्तुत करते हुए अपील मेमो में यह कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश कानून एवं तथ्यों के विपरीत है। परिवादी द्वारा एफआईआर से इन्कार कर दिया एवं परिवादी ने लिखित एफआईआर पर दस्तखत होने से इन्कार दिया। ऐसी सूरत में विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को सजायाब कर भूल की हे। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह लिखा है कि मामला घरेलू है इसलिए कोई स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं है जबकि अपीलार्थी की पत्नी स्वयं ने ऑन ऑथ न्यायालय में बयान दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट जो लिखित पेश हुई है उस पर उसके दस्तखत नहीं है। इस तथ्य के बाद भी विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को सजायाब कर भूल की है। ऐसी सूरत में मात्र चिकित्सक की रिपोर्ट के आधार पर विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को सजायाब कर भूल की है। एफआईआर में लिखे तथ्यों से ही परिवादिया ने इन्कार कर दिया तो मात्र चोट प्रतिवेदन के आधार पर अपीलार्थी को दण्डित कर दिया गया है। अन्त में अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांकित 11.02.2025 अपास्त किया

Authenticated Document

जाकर अपीलार्थी को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

6. बहस अंतिम उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस फरियादिया तथा अपीलार्थी की ओर से पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने के फलस्वरूप राजीनामा पेश करने की अनुमति चाही। न्यायालय द्वारा अनुमति प्रदान करने पर फरियादिया एवं अपीलार्थी की ओर से धारा 341, 325 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों के सम्बन्ध में राजीनामा पेश किया गया जो राजीनामा की पुश्त पर तस्दीक किया गया।

7. विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी अभियुक्त को धारा 341, 325 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों के लिए दोषसिद्ध घोषित किया जाकर कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया था जिसके सम्बन्ध में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है तथा फरियादिया द्वारा अपीलार्थी अभियुक्त के विरुद्ध अब कोई कार्यवाही नहीं चाहने का कथन किया गया है और राजीनामे के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किए जाने का निवेदन किया गया है।

8. ऐसी स्थिति में चूंकि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य आपसी समझाइश से राजीनामा हो चुका है, अतः मेरे विनम्र मत में अपीलार्थी अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आ दे श

9. अतः अपीलार्थी अभियुक्त जावेद हुसैन पुत्र जाकिर हुसैन, निवासी 136-ए संजय नगर-ए विज्ञान नगर कोटा की ओर से प्रस्तुत यह अपील पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर निस्तारित की जाती है तथा अपीलार्थी अभियुक्त के विरुद्ध विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 11.02.2025 अपास्त किया जाकर अपीलार्थी अभियुक्त को धारा 341, 325 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से जरिए राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

10. अपीलार्थी अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है, अतः अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह कोटा को तहरीर जारी हो कि अपीलार्थी अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है, अतः यदि अपीलार्थी अभियुक्त जावेद हुसैन किसी अन्य प्रकरण में वांछित नहीं हो तो उसे इस प्रकरण में अविलम्ब रिहा कर दिया जाए।

(सत्यनारायण व्यास)

निर्णय व आदेश आज दिनांक 04.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण व्यास)

ASHISH JANGID
Digitally signed by ASHISH JANGID
Date: 2026.06.04 17:11:57 +0530

Authenticated Document